5 रु. Rs.5 भारत INDIA COURT FEE पाँच रुपये FIVE RUPEES

68

(62)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल अध्यक्ष महोदय,
राजस्व मंडल कैम्प उज्जैन म.प्र.

प्र.कं. / PBR/ निगरानी / शाजापुर / भू.रा. / 2018/0943

लक्ष्मीनारायण पिता मुंशीलाल जाति पंवार धंधा कृषि निवासी ग्राम बुढ़लाय तहसील गुलाना जिला शाजापुर म.प्र.

......निगरानीकर्ता

श्री एस.एल. शर्मा अधिवक्ता द्वारा आज दिनांक 25/01/18 को कार्य अनोपचारिक प्रस्तुत 25/01/18

विरूद्ध

धर्मराज सिंह पिता माखन सिंह धंधा कृषि निवासी ग्राम बुढ़लाय तहसील गुलाना जिला शाजापुर म.प्र.

.......निगरानीग्रहिता

—:: निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. ::—

माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय तहसील गुलाना जिला शाजापुर के न्यायालयीन प्रकरण कं. 02 / अ—70 / 2015—16 में पारित आदेश दिनांक 17.01.2018 से दुखित होकर यह निगरानी समयावधि अंदर श्रीमान की सेवा में प्रस्तुत है।

श्रीमान जी,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है।

—:: **प्रकरण का संक्षिप्त विवरण** ::—

1. यह कि निगरानीग्रहिता द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. का दिनांक 10.02.2016 को प्रस्तुत किया गया। उक्त आवेदन पर निगरानीकर्ता द्वारा दिनांक 23.11.2016 को आपत्ति आवेदन धारा 32 म.प्र.भू.रा.सं. एंव धारा 151 सी.पी.सी. का प्रस्तुत किया गया। उसी दिन निगरानीग्रहिता द्वारा एक आवेदन पत्र धारा 250(3) म.प्र.भू.रा.सं. का प्रस्तुत किया गया। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त आवेदन का जबाब प्रस्तुत कर एंव आपत्ति आवेदन दोनो में निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि सर्वे कं. निगरानीग्रहिता के स्वामित्व अधिपत्य की नही है। निगरानीकर्ता के स्वामित्व अधिपत्य के भूमि सर्वे कं. 1896 का भू—भाग है। निगरानीकर्ता उक्त भूमि का रजिस्ट्रेड भूमि स्वामी स्वत्व अधिपत्यधारी है। निगरानीग्रहिता द्वारा ग्राम पटवारी से मिलकर त्रुटि पूर्ण नक्शे के आधार पर गलत सिमांकन करवा कर निगरानीकर्ता की भूमि हड़प करना चाहता हैं। उक्त वाद माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा श्रवण किये जाने का क्षेत्राधिकार नही है। उक्त भूमि में स्वत्व का प्रश्न नियत होने से सिविल न्यायालय को स्वत्व का निराकरण करने का क्षेत्राधिकार है। उक्त भूमि के संबंध में स्वत्व का निराकरण न हो जावे तब तक उक्त प्रकरण की आगामी कार्यवाही स्थगित किया जाना न्यायोचित है। माननीय [illegible] द्वारा निगरानीकर्ता का आवेदन पत्र धारा 151 सी.पी.सी. एंव धारा 32 म.प्र.भू. [illegible] की आगामी कार्यवाही दिनांक 23.12.2016 को [illegible] स्थगित करते हुए सिविल

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/शाजापुर/भू.रा./2018/943

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लक्ष्मीनारायण एवं अनावेदक अधिवक्ता श्री जितेन्द्र जादौन उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 3-1-19 को कलेक्टर, जिला शाजापुर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	